|| श्री गणेशाय नमः ||

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 335941

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम....मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकबा 0.759 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन.नहीं
6. बोरिंग / कुंआ / अन्य..नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि....3000000 / —.रूपये

क्रमांक 41 दिनांक 19/6/08 मूल्य 20000/

नाम श्री एस जे. पी. डलोवल पुत्र

पता द्वारा आशीष राम अग्रवाल 5/- उमाशंकर

111 जमुना धाम गोवर्धन चौराहा मथुरा

B. K. Chaturvedi
Assistant Cashier
Treasury Office MATHURA

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335929

उ० प्र० शासन
कोषागार, मथुरा
17 JUN 2008
वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

(2)

8. स्टाम्प हेतु मालियत 3000000/–रूपये

9. स्टाम्प देय 300000/–रूपये

10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 1500000/–रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 52 क्रमांक 29 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –प्रथम

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335930

17 JUN 2008

(3)

प्रथमपक्ष की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

मदन पुत्र श्री चन्दी निवासी ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्रीमती मणी अग्रवाल पुत्री स्व0 जगदीश प्रसाद अग्रवाल निवासी ए–625, कमला नगर आगरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335931

17 JUN 2008

(4)

द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335932

JUN 2008

(5)

हमकि मदन पुत्र श्री चन्दी निवासी ग्राम सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्रीमती मणी अग्रवाल पुत्री स्व0 जगदीश प्रसाद अग्रवाल निवासी ए–625, कमला नगर आगरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

मदन

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335933

उ० प्र० शासन
कोषागार, मथुरा

17 JUN 2008

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

(6)

जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–316 व खसरा नंबर–65 रकवा 0.821 हैक्टेयर लगानी रूबरू कागजात स्थित मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा में मेरा बचा हुआ हिस्सा आराजी रकवा 0.759 हैक्टेयर है जो मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जो

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335934

JUN 2008

(7)

आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 335935

(8)

का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 1500000/-रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी रकवा 0.759 हैक्टेयर की स्टाम्प हेतु मालियत 3000000/-रूपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335936

(9)

है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक–27.4.2007 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 4282 के सफा 45 / 62 नंबर–5052 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335937

शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष व मुहायदा वै द्वितीयपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 3000000/ तीस लाख रूपये जिसके आधे 1500000/–पन्द्रह लाख रूपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा के हक में बै कतई कर दिया

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335938

11

और बेच दिया और कीमत का 2400000/-चौबीस लाख रूपया खरीदार से इलाहाबाद बैंक मथुरा शाखा के छैः किता चैक प्रथम नंबर-921224 द्वितीय नंबर-921225 व तृतीय नंबर-921226 व चतुर्थ नंबर-921227 व पंचम नंबर-921228 व छटा नंबर-921229 प्रत्येक चैक तादादी 400000/-रूपये द्वारा पाये व 600000/-रूपये नकद पहले प्राप्त

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335939

उ० प्र० शासन
कोषागार, मथुरा

17 JUN 2008

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

12

कर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

335940

17 JUN 2008

13

प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 364346

13 JUN 2008

14

आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 776743

13 JUN 2008

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 370215

16

आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना बचा हुआ सम्पूर्ण अंश बेचा है। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0–2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 373259

10 JUN 2008

17

कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर नंबर–441 पर दिनांक–2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 373260

JUN 2008

18

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–19.6.2008

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

कैलाशप्रसाद पुत्र प्रतापसिंह
गोविन्द नगर बौराहा मथुरा

गवाह रग्गो पुत्र मदन
ग्राम सतोहा आसगरपुर
मथुरा
रग्गो

आज दिनांक 20/06/2008 को

वही सं 1 जिल्द सं 5082

पृष्ठ सं 163 से 200 पर क्रमांक 6890

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

प्र0 मोरमुकुट शर्मा

उप-निबन्धक

मथुरा-प्रथम

20/6/2008

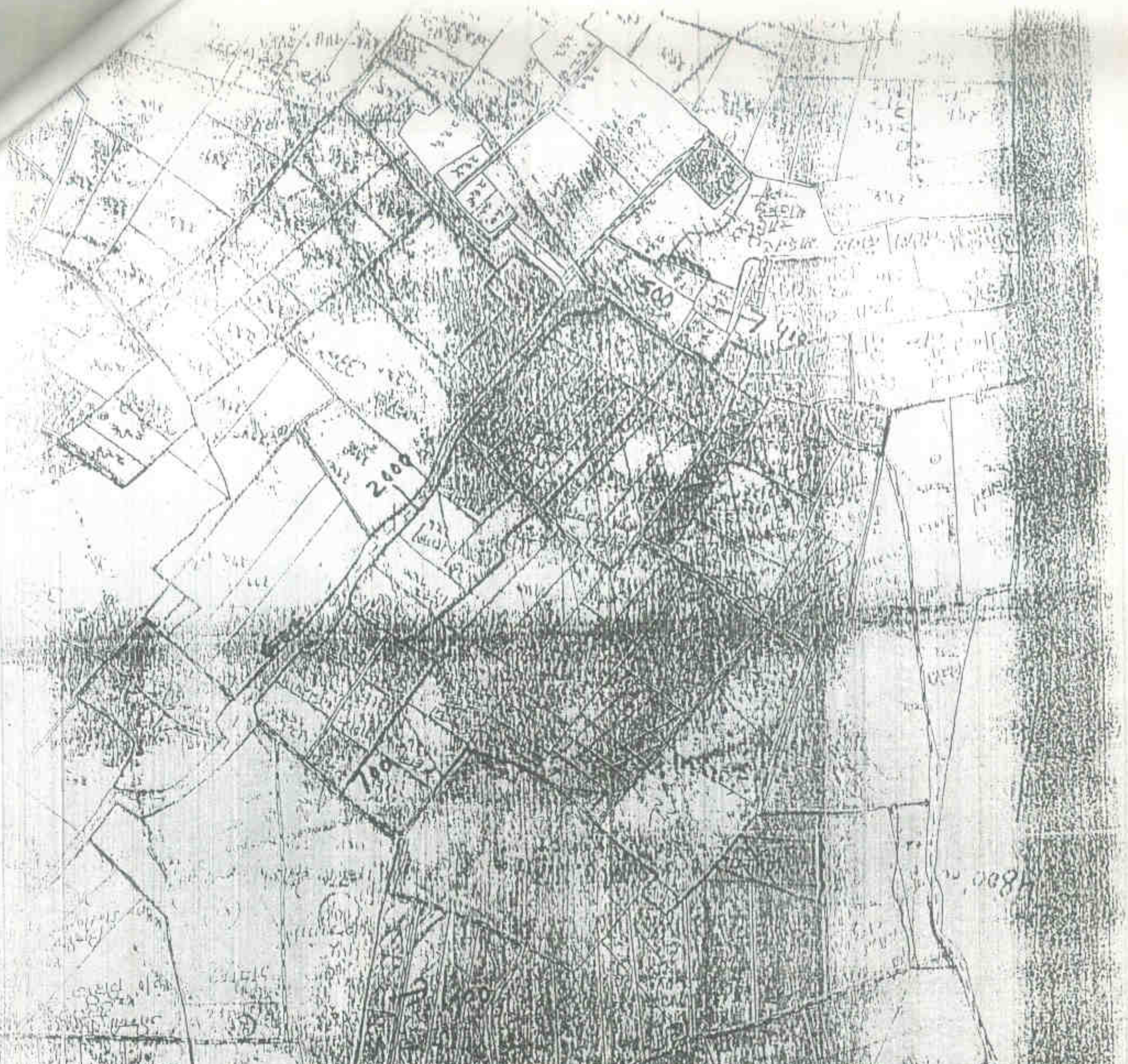
2000
500
300
550
340
MTR
GOV

5052/07

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 577356

चतुर्वेदी
कातिब
..., मथुरा

TREASURY
20 APR 2007

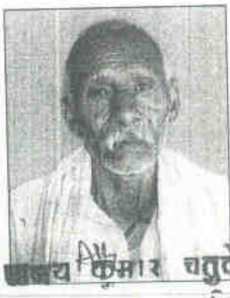

... कुमार चतुर्वेदी
कातिब
रजिस्ट्री आफिस, मथुरा

!! श्री हरिदास !!

इकरारनामा आराजी
स्थित– मौजा सतोहा असगरपुर
सौदा 10,00,000/– रूपये
ब्याना 2,00,000/– रूपये
स्टाम्प देय– 40,000/–रूपये
क्षेत्राधिकार उपनिबन्धक प्रथम मथुरा

....

हमकि मदन पुत्र श्री चन्दी निवासी– ग्राम सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्रीमती मणी अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय जगदीश प्रसाद अग्रवाल निवासी– एफ–625 कमला नगर, आगरा क्रेता द्वितीयपक्ष पक्षकारगण इस लेखपत्र के हैं।

नि० अं० मदन

Mani Agarwal.

૨૭-૫-૦૭

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 577355

U.P. Gov MATHURA TREASURY

{2}

प्रथमपक्ष/विक्रेता तथा द्वितीयपक्ष/क्रेता दोनों में उनके प्रतिनिधि कानूनी हकदार तथा वारिसान सम्मिलित है। इकरारनामा की सभी निम्न शर्ते उन पर भी लागू होंगी।

विदित हो कि आराजी भूमिधरी खाता संख्या 316 खसरा नम्बर 65 रकवा 0.821 हैक्टेयर लगानी कागजातनुसार बाकै मौजा सतोहा असगरपुर, तहसील व जिला मथुरा। सम्पूर्ण अंश आराजी मिलकीयत व खानाकागजात माल प्रथमपक्ष थी। जिसमें से पूर्व में 0.062 हैक्टेयर आराजी विक्रय कर दी अब शेष 0.759 हैक्टेयर आराजी का प्रथमपक्ष मालिक व

नि० अं० मदन

Mani Agarwal.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 578252

भूमिधर हैं। तथा विक्रेता प्रथमपक्ष ही उक्त आराजी का मालिक काबिज व दखील हैं। उक्त आराजी हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे आदि से पाक व साफ है कहीं भी रहन व गिरवी आदि नहीं हैं। उक्त आराजी में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है सिवाय प्रथमपक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और प्रथमपक्ष को अपनी शेष 0.759 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश आराजी की बावत हर प्रकार के मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकारात प्राप्त हैं। वर्तमान में मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष को अपनी व अपने परिवार की जरूरतों के लिये रूपयों की सख्त आवश्यकता है। इसलिये मुझ विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 578251

प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त शेष 0.759 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश आराजी के बेचने का सौदा व कीमत 10,00,000/- दस लाख रूपये में **श्रीमती मणी अग्रवाल पुत्री स्वर्गीय जगदीश प्रसाद अग्रवाल निवासी- एफ-625 कमला नगर, आगरा क्रेता द्वितीयपक्ष** के साथ नीचे लिखी शर्तों के अनुसार तय हो गया है। जिसके दोनों पक्ष व वारिसान दोनों पक्ष सदैव पाबन्द होंगे।

1- यह कि मुझ प्रथमपक्ष ने ब्याने में 2,00,000/- दो लाख रूपये नकद वक्त रजिस्ट्री

नि॰ अं॰ बदन

Mani Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 578250

TREASURY
APR 2007

इकरारनामा द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर लिये है बाकी 8,00,000/-रुपये वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष से प्राप्त करूंगा।

2- यह कि खर्चा बैनामा स्टाम्प फीस आदि सब खरीदार के जिम्मे तय हुआ है।

3- यह कि मैं प्रथमपक्ष विक्रेता प्रथमपक्ष अपनी उक्त शेष 0.759 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश आराजी की बाबत समस्त कानूनी अड़चनों की पूर्ति करके व मौके पर पैमाइश कराकर व हर प्रकार से खरीदार की संतुष्टि कराकर व लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा उक्त खरीदार

त्रि० अं० मदन

Mani Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 578249

24 APR 2007

{6}

को देकर, लिखित सूचना खरीदार को प्राप्त होने के 4 माह के अन्दर अपनी उक्त आराजी का बैनामा खरीदार के हक में या खरीदार चाहें जिसके हक में कर दूंगा। अगर मैं प्रथमपक्ष उक्त म्याद में अपनी उक्त आराजी का बैनामा समस्त कानूनी पूर्ति करके खरीदार के हक में या उसके नामित व्यक्ति के हक में न करुं तो खरीदार द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह बाजाव्ता बजरिये अदालत बैनामा रजिस्ट्री करा लें। ऐसी दशा में खरीदार के समस्त

नि० डा० मदन

Manoj Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 578248

4 APR 2007

हर्जे–खर्चे की पूरी जिम्मेदारी मुझ विक्रेता प्रथमपक्ष की होगी। जिसको द्वितीयपक्ष नियमानुसार वसूल करने को सक्षम रहेंगे।

4– यह कि उक्त आराजी का कब्जा वक्त बैनामा गुड टाईटिल के साथ द्वितीयपक्ष को दिया जायेगा।

5– यह कि दिया गया स्टाम्प शुल्क नियमानुसार विक्रय पत्र में समायोजित किया जायेगा, चाहे विक्रय पत्र क्रेता द्वितीयपक्ष के हक में हो या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के हक में हों। कोई पक्ष आपत्ति नहीं करेगा।

अतः यह इकरारनामा मुहायदा वै कब्जा रहित अपनी राजीखुशी से लिख दिया कि प्रमाण

नि॰ अं॰ मदन

Manoj Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 578247

रहे और समय पर काम आवे। उक्त प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहों के समक्ष

24 APR 2007 पढ़ाकर व सुनाकर टाइप व ड्राफ्ट किया गया है।

नि॰ अं॰ मदन

Manoj Agarwal

तहरीर दिनांक - 27.04.2007ई0
कम्प्यूटराइज्ड किया - दीपक, नीलम फोटोस्टेट, मथुरा।
ड्राफ्ट किया- अजय कुमार चतुर्वेदी कातिब, मथुरा। AK

साक्षी:- रघुवो
S/o मदन
नि॰ असगरपुर मथुरा
रघुवो

साक्षी:- अशोक S/o जी बीरी
नि॰ असगरपुर मथुरा
अशोक

6/11 27-4-07

आज दिनांक 27/04/2007 को

वही सं 1 जिल्द सं 4282

पृष्ठ सं. 45 से 62 पर कमांक 5052

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव

उप निबन्धक

मथुरा

27/4/2007